

0प्रारूप - 2

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।

संख्यांक / 10601-07

/2015-16

दिनांक - 23 फरवरी 2016

प्रबन्धक,

डी०ए०स०बी० इण्टरनेशनल स्कूल
नगला सिकन्दरा, एटा रोड *
विकास खण्ड - टूण्डला।

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता का प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 29-08-2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्यर्ती पत्राधार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं डी०ए०स०बी० इण्टरनेशनल स्कूल, नगला सिकन्दरा, एटा रोड विकास खण्ड टूण्डला, को तारीख 01-07-2015 से तारीख 30-06-2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा प्री-प्राईमरी से कक्षा आठ (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संवधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में जैसी कि मान्यता प्रदान की गई है), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समुद्धों के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्ति करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ;

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

9/

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित छिंचे नये अनुसार एक प्रगाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम वो उपदन्ध को अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(6) अध्यापकों की नर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पौंछ वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे :

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और

(8) अध्यापक रख्यां को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यवर्ष के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेंगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार है :—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	— 6869.25 Sq. Metre
-----------------------------	---------------------

कुल निर्मित क्षेत्र	— 957.67 Sq. Metre
---------------------	--------------------

क्रीड़ा स्थल की क्षेत्रफल	— 5911.58 Sq. Metre
---------------------------	---------------------

कक्षाओं की संख्या	— 10 शिक्षण कक्ष कक्ष
-------------------	-----------------------

प्राध्यापक—सह—कार्यालय सह भाँडागार के लिये कक्ष — 05

बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	— है
--------------------------------------	------

पेयजल सुविधा	— है
--------------	------

मिड डे मील पकाने के लिये रसोई	— नहीं
-------------------------------	--------

बाधारहित पट्टेय	— है
-----------------	------

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता — है

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई नैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा ही चलाया जायेगा।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जायेगा।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने

③

‘माहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैशिक रिपोर्ट अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक 1603251 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राधार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसे रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निवेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधेक्षित हों और सम्बुद्धि सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संक्षी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

17. विद्यालय के कक्षा अनुभागों में उतने ही छात्रों का प्रयोग लिया जायेगा, जिससे प्रत्येक छात्र हेतु कम से कम 09 वर्ग फ्लोट की जगह उपलब्ध हो सके।

18. किसी भी अतिरिक्त कक्षा अनुभाग का संचालन यिन अनुभाति के नहीं किया जायेगा।

19. अग्निशमन घंटे की रिफ्लेंज समय-समय पर कराने का उत्तरदायित्व प्रबन्धनत्र का होगा।

20. विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणतंत्र कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों और सुख्खा के उपायों के लिये जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति/अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निशुल्क प्रशिक्षित कराया जायेगा ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।

21. आपका विद्यालय खण्डित पोषित होगा, जिसे राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

22. नि.गुरुज एवं अनिवार्य शाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 एवं रासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 की अन्य सभी शर्तों/प्रतिवन्धों का अनुपालन करने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धनत्र का होगा। उपरोक्तानुसार आपके विद्यालय को 03 वर्षों के लिये औपचार्यित मान्यता प्रदान की जा रही है। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आयेगा तो विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

भावदीय

(बालमुकुन्द प्रसाद)
गिला बेसिक शिवा अधिकारी
किरोजाबाद

पृष्ठा संख्या /

प्रतिलिपि - निम्न

/2015–16

३५

- दिनांक -

 01. शिक्षा निदेशक(ले०) उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थी हेतु प्रेषित।
 02. अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद।
 03. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(ले०) आगरा।
 04. समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फिरोजाबाद।
 05. खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, फिरोजाबाद।
 06. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
 07. कार्यालय गार्ड पत्रापुली।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद।